

>

Title: Need to release the due share of water to Rajasthan from Ranjit Sagar Dam.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान राज्य को रावी-व्यास जल रणजीत सागर बांध, पोंग बांध एवं भाखड़ा बांध से प्राप्त होता है। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के नियंत्रण में है एवं अन्य 2 बांध भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल (बी.बी.एम.बी.) के नियंत्रण में है। वर्तमान में राजस्थान के हिस्से का लगभग 72000 क्यूसेक पानी पंजाब द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से इंदिरा गांधी नहर में पेयजल हेतु भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता 2200 क्यूसेक पानी के विरुद्ध केवल 1100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है, जिससे नहरों के अन्तिम छोर पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण जनता में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर अबकी बार खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में नष्ट हो गईं। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विकट हो जायेगी एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि सम्बन्धित राज्यों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध कराये लेकिन इस मामले में भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने अपनी असमर्थता जताई है।

इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को तत्काल निर्देश दे कि राजस्थान के हिस्से का पानी रिलीज कराये। यदि पंजाब रणजीत सागर बांध से पानी नहीं छोड़ता है तो राजस्थान को पंजाब के पोंग एवं भाखड़ा बांध में राज्य के हिस्से के पानी से पानी छोड़ा जाये। इससे पंजाब के हक पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान की पानी की मांग उसके निर्धारित हिस्से के अनुरूप है इसलिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी छोड़वाये।
